भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5633
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

5633. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अब तक जिला-वार कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं:
(ख) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और बालिका सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार, बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करने वाले बहुक्षेत्रीय कार्यकलाप के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए किया गया है। बीबीबीपी, सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकत्रित करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है।

बीबीबीपी का मुख्य उद्देश्य देशभर में बालिका के प्रति लोगों की सोच में व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है। बीबीबीपी की प्रकृति ऐसी है कि लाभार्थियों की संख्या का सटीक आकलन संभव नहीं है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति तथा महिलाओं एवं बच्चों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से इस योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

मंत्रालय की योजनाओं, जिनमें मिशन शक्ति व्यापक योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित इसके घटक शामिल हैं, का दो बार तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नीति आयोग के माध्यम से वर्ष 2020 और 2025 में किया गया है। इन अध्ययनों में इस योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और निरंतरता को संतोषजनक पाया गया है।
